



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227982
CG-DL-E-29062021-227982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2424]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/ आषाढ़ 8, 1943

No. 2424]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

विषय: दिल्ली एकीकृत भवन उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 में संशोधन।

का. आ. 2615 (अ).— दिल्ली विकास प्राधिकरण, एतद् द्वारा, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली एकीकृत भवन उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

क्र.सं.	यू.बी.बी.एल. 2016 में मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1	2.0.1 प्रक्रिया	2.0.1 प्रक्रिया (च) अग्नि सुरक्षा अनापत्ति, पीईएसओ और अन्य आवश्यक मंजूरी, जहां भी लागू हों, मिलने पर केवल ओपन/सेटबैक क्षेत्र में अस्पतालों में भू-तल पर पीएसए प्लांट/लिविड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और इसी प्रकार की संबद्ध अवसंरचना के निर्माण/संस्थापन के लिए संस्वीकर्ता प्राधिकरण से कोई नोटिस और बिल्डिंग परमिट अपेक्षित नहीं है। अस्पताल परिसर के अंदर ऑक्सीजन सिलिंडर को रिफिल करने की अनुमति नहीं होगी।

2	7.17.2	7.17.2 फ. अस्पतालों में पीएसए प्लांट/लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और इसी प्रकार की अन्य संबंधित अवसंरचनाओं पर अग्नि सुरक्षा अनापत्ति, पीईएसओ और अन्य आवश्यक मंजूरी प्राप्त होने पर एफ ए आर और ग्राउण्ड कवरेज लागू नहीं होंगे।
---	--------	---

[सं. पीएलजी/बिल्डिंग/0005/2021/एफ7/ओ/ओ डायरेक्टर (बिल्डिंग)]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2021

Sub: Modifications in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016

S.O. 2615(E).— in exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby make the following modification in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016.

Sl. No.	Existing Provision in UBBL 2016	Proposed Amendment
1	2.0.1 Procedure	2.0.1 Procedure (f) No notice and building permit is required from the sanctioning authority for erection/ installation of PSA Plant/ Liquid Medical Oxygen Plant and similar related infrastructure in Hospitals on ground, only in open/ setback area subject to Fire Safety clearance, PESO and other mandatory clearances, wherever applicable. Refilling of oxygen cylinders within the hospital premise shall not be permitted.
2	7.17.2	7.17.2 v. PSA Plant/ Liquid Medical Oxygen Plant and similar related infrastructure in Hospitals shall be free from FAR and Ground Coverage subject to Fire Safety clearance, PESO and other mandatory clearances.

[No. PLG/BLDG/0005/2021/F7/-O/o DIRECTOR (BUILDING)]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.